



प्रेस नोट थाना रसूलपुर दिनांक 12.10.2025 जनपद फिरोजाबाद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना रसूलपुर मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त को पुलिस मुठभेड के दौरान किया गया गिरफ्तार ।

- मुठभेड में अभियुक्त सन्तोष पैर में गोली लगने से घायल, जिसको उपचार के हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया ।
- अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।
- अभियुक्त सन्तोष द्वारा नाबालिग बच्ची को अकेला देख किया था दुष्कर्म का प्रयास ।
- मिशन शक्ति अभियान फेज 05 के तहत जनपद में महिला अपराधों से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही है कड़ी वैधानिक कार्यवाही

दिनांक 12.10.2025 को वादी द्वारा थाना रसूलपुर पर अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के सम्बन्ध में अभियुक्त संतोष पुत्र लालसिंह निवासी ओमनगर कालौनी थाना लाइनपार फिरोजाबाद के विरुद्ध तहरीर दी गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना रसूलपुर पर मु0अ0सं0 470/25 धारा 75 बीएनएस व 9एम/10 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर फिरोजाबाद के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में घटना के अनावरण हेतु 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया था । इसी क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध मिशन शक्ति अभियान फेज 05 के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों में चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना रसूलपुर मय मिशन शक्ति पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 470/2025 में वांछित अभियुक्त फतेहाबाद रोड पर जंगलों में छुपे-छुपाये घूम रहा है । सूचना पर थाना रसूलपुर मय मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गयी । दबिश के दौरान पुलिस टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया जिसने पुलिस टीम को देखते ही पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया । आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गयी जवाबी कार्यवाही में संदिग्ध व्यक्ति के पैर में गोली लगने से घायल हो गया । घायल व्यक्ति की पहचान मु0अ0सं0 470/2025 में वांछित अभियुक्त संतोष पुत्र लालसिंह निवासी ओमनगर कालौनी थाना लाइनपार फिरोजाबाद के रूप में हुई है । अभियुक्त सन्तोष के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है । घायल अभियुक्त

को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त

1. संतोष पुत्र लालसिंह निवासी ओमनगर कालौनी थाना लाइनपार फिरोजाबाद।

बरामदगी विवरण -

1. एक अदद तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सन्तोष

1. मु0अ0सं0 171/02 धारा 302/201 भादवि0 थाना लाइनपार फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 232/02 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लाइनपार फिरोजाबाद।
3. मु0अ0सं0 234/02 धारा एन.एस.ए एक्ट थाना लाइनपार फिरोजाबाद।
4. मु0अ0सं0 36/03 धारा 3 यू.पी गुण्डा अधि0 थाना लाइनपार फिरोजाबाद।
5. मु0अ0सं0 106/03 धारा 363/366 भादवि0 थाना दक्षिण फिरोजाबाद।
6. मु0अ0सं0 199/08 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना लाइनपार फिरोजाबाद।
7. मु0अ0सं0 200/08 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना लाइनपार फिरोजाबाद।

गिरफ्तार / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. प्र0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
2. म0उ0नि0 अल्का रानी थाना रसूलपुर फिरोजाबाद।
3. म0उ0नि0 शालू थाना रसूलपुर फिरोजाबाद।
4. उ0नि0 श्री अफर खान थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
5. उ0नि0 श्री विलम कुमार थाना रसूलपुर फिरोजाबाद।
6. उ0नि0 श्री ऋषभदेव भारद्वाज थाना रसूलपुर फिरोजाबाद।
7. है0का0 1023 मौ0 आफताब थाना रसूलपुर फिरोजाबाद।
8. है0का0 594 मुकेश कुमार थाना रसूलपुर फिरोजाबाद।
9. है0का0 राहुल तालान थाना रसूलपुर फिरोजाबाद।
10. का0 रामगोपाल थाना रसूलपुर फिरोजाबाद।